भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 560
सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा

560. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंकः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 के बाद देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भारत को पर्यटकों के लिए एक विशिष्ट गंतव्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): 2020 से 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का माहवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का समग्र तरीके से संवर्धन करने के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाज़ारों में विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियां करता है। इनमें 'अतुल्य भारत' ब्रांड लाइन के तहत मीडिया अभियान चलाना, सोशल मीडिया द्वारा प्रोत्साहन, वेबिनार, संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी और उनका समर्थन, वेबसाइट इत्यादि के माध्यम से सूचना का प्रसार और इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय के विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय और विदेशी भारतीय मिशन भी देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर और अधिक वैश्विक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियां करते हैं।

भारत को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय देश में वीज़ा व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ बहुत घनिष्ठता

से कार्य कर रहा है। ई-वीज़ा योजना अब 165 देशों के नागरिकों के लिए निम्नलिखित पांच श्रेणियों में उपलब्ध हैः

i. ई-पर्यटक वीज़ा
ii. ई-बिजनेस वीज़ा
iii. ई-मेडिकल वीज़ा
iv. ई-सम्मेलन वीज़ा और
v. ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा

ई-वीज़ा 29 नामित हवाई अड्डों और 5 नामित समुद्र पत्तनों में प्रवेश के लिए मान्य है।

इसके साथ-साथ, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रभावी और अनुकूल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इस उद्देश्य से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आरसीएस-उड़ान योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को किफायती बनाते हुए इसकी सुविधा प्रदान करना/प्रोत्साहित करना है। पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य आइकॉनिक स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी को आगे और बेहतर बनाना है। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय ने 59 पर्यटन आरसीएस (टी-आरसीएस) रूटों को अनुमोदन दिया है, जिनमें से 51 प्रचालनरत हैं।

(ग): पर्यटन मूलतः एक बहु-क्षेत्रीय गतिविधि है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और निजी इकाईयों के साथ संपर्क और सहयोग की आवश्यकता होती है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश भर में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए इन स्थलों पर पर्यटन संबंधी सुविधाओं के योजनागत और चरणबद्ध तरीके से विकास के उद्देश्य से "एक विरासत अपनाएं : अपनी धरोहर, अपनी पहचान" को शुरू किया है जिसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र, ट्रस्टों, एनीजीओ, व्यक्तियों और अन्य हितधारकों को 'स्मारक मित्र' बनने और अपनी रूचि तथा सीएसआर के तहत सतत निवेश मॉडल के संदर्भ में व्यवहार्यता के अनुसार इन स्थलों पर मूलभूत और आधुनिक पर्यटक संबंधी सुविधाओं का विकास और उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वे इनके संचालन और रखरखाव का कार्य भी देखेगें।

*****

अनुबंध

पर्यटन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा के संबंध में दिनांक 06.02.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 560 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

2020, 2021 और 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए)

महीना	विदेशी पर्यटकों का आगमन		
	2020	2021	2022 @
जनवरी	11,19,250	94,662	2,01,546
फरवरी	10,18,440	1,10,312	2,40,896
मार्च	3,28,304	1,33,768	3,42,308
अप्रैल	2,820	78,718	3,92,930
मई	3,764	19,765	4,23,701
जून	8,590	36,070	5,22,737
जुलाई	12,655	72,501	6,40,858
अगस्त	19,761	92,728	4,98,243
सितंबर	28,167	1,15,661	5,36,340
अक्टूबर	41,494	1,91,415	6,56,895
नवंबर	70,977	2,63,867	7,68,675
दिसंबर	90,544	3,17,647	9,66,270
कुल (जनवरी-दिसंबर)	27,44,766	15,27,114	61,91,399

@ अनंतिम

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

*****